रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003--05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2005 (भाद्रपद 26, 1927)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2005 (BHADRA 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 945

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 883

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 7

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1707

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ...... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1205

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 451

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ...... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 2237

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 263

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 सितम्बर 2005

संकल्प

सं. 3/9/2002-डीसैल/प्रशा.IV--जैसा कि भारत सरकार ने दिनांक 9 जनवरी, 2003 को तत्कालीन कम्पनी कार्य विभाग अब कम्पनी कार्य मंत्रालय में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के गठन का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ियों में जांच का कार्य करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी कार्य मंत्रालय में दिनांक 01.07.2003 से प्रभाव में आने वाले गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) का गठन किया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे धोखाधड़ियों को (क) अंतर विभागीय जटिलता, बहुअनुशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय विभाजने, (ख) पैसों के गलत उपयोग के रूप में या प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के रूप में लोकहित की ठोस संलिप्तता, और (ग) प्रणालियों कानूनों और प्रक्रियायों में सुधार में योगदान देने वाली जांचों की संभावना, के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, एसएफआईओ को कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें लेखा, फॉरेन्सिक लेखा परीक्षण, कर व्यवस्था, सूचना तकनीक, पूंजी बाजारों, वित्तीय सौदों आदि शामिल हैं, में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

एसएफआईओ की अध्यक्षता एक 'निदेशक' पद का अधिकारी (भारत सरकार के संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव के स्तर का) करता है जिसे सभी वित्तीय और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विभाग का अध्यक्ष घोषित किया गया है।

लोगों की सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों/निदेशक/ इंटेलिजेंस ब्यूरो, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली, को दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित हो।

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th September 2005

Resolution

No. 3/9/2002-D.Cell/Admn. IV.—Whereas the Government of India has decided on 9th January, 2003 to set up a Serious Fraud Investigation Office (SFIO) in the then Department of Company Affairs, and now the Ministry of Company Affairs. The Government of India has set up the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) in the Ministry of Company Affairs w.e.f. 01.07.2003 with a view to undertaking investigations under the provisions of the Companies Act, 1956 in corporate frauds.

Keeping in view that such corporate frauds may be characterised by (a) complexity involving inter-departmental, multi-disciplinary and international ramifications, (b) substantial involvement of public interest either in terms of monetary misappropriation or in terms of the number of persons affected, and (c) the possibility of investigations leading to, or contributing towards, an improvement in systems, laws or procedures, the SFIO has been authorised to draw upon the services of experts and expertise in various fields including accountancy, forensic auditing, taxation, information technology, capital markets, financial transactions, etc. with a view to fulfilling the assigned task.

The SFIO is headed by an officer designated as 'Director' (of the level of Joint Secretary/Additional Secretary to the Govt. of India) who has been declared as Head of the Department for all financial and administrative purposes.

This resolution is published in the Gazette of India for general information of the public.

ORDER

1. Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Govt. of India/all State Governments/Union Territory Administrations/Director, Intelligence Bureau, Director, Central Bureau of Investigation, Delhi.
2. Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Y. S. MALIK
Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1315] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2010/आषाढ़ 4, 1932
No. 1315] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2010/ASADHA 4, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2010

का.आ. 1548(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 या धारा 237 के अधीन किसी कम्पनी के मामले के अन्वेषण को निरीक्षक के रूप में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल उन मामलों के संबंध में निदेशक गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 की उप-धारा (1) के खंड (क), धारा 240 की उप-धारा (1क), धारा 240 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और धारा 240 की उप-धारा (3) के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित करती है।

[फा. सं. 3/1/2010-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2010

S.O. 1548(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby delegates its powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 240, sub-section (1A) of Section 240, clause (b) of sub-section (2) of Section 240 and sub-section (3) of Section 240 of the Companies Act, 1956, to the Director, Serious Fraud Investigation Office only in respect of those cases wherein the Central Government appoints officers of Serious Fraud Investigation Office as inspectors, to investigate into the affairs of a company under section 235 or section 237 of the Companies Act, 1956.

[F. No. 3/1/2010-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

2478 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi dated .6 July, 2012

G.S.R.....(E)—In pursuance of sub-section (1) of section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise the following officers in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956, namely:-

1.	Shri Subodh kumar Saraogi	Senior Assistant Director
2.	Shri Raj Kumar	Senior Assistant Director
3.	Shjri R.K. Mishra	Senior Assistant Director
4.	Shri Sanjay Kumar	Assistant Director
5.	Shri S.S. Sahni	Assistant Director
6.	Shri C.S. Lakshminarayanan	Assistant Director
7.	Shri Ashok Jain,	Senior Assistant Director
8.	Shri D.A. Sampath,	Assistant Director
9.	Ms. Parveen,	Assistant Director
10.	Shri N. Mukundan,	Assistant Director
11.	Shri Prem Sunder Singh,	Assistant Director
12.	Shri Ajay Singh,	Assistant Director
13.	Shri Amit Sinha	Assistant Director
14.	Shri A. S. Mishra	Assistant Director
15.	Shri N. Balasubramanian,	Senior Assistant Director, SFIO, Chennai
16.	Shri S. Krishnakumar,	Assistant Director, SFIO, Chennai

[F.No.5/37/2011-CL-V]

(Avinash K. Srivastava)
Joint Secretary

JUL-06-2012 17:04 From: To:24365809 P.1